न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 21/2015 (2015/00103) जिला–नागौर

भंवरलाल पुत्र श्री गोविन्दराम जाति राजपुरोहित निवासी गोविन्द कृषि फाम बोरावड तहसील मकराना जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जयश्री राणा भाई मार्बल माइनिंग भागीदार फर्म जरिये भागीदार

1. बालूराम पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी बाढ़ी चारणा तहसील मकराना व जिला नागौर।
2. किशनाराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट मुराबतिया निवासी बाकरों की ढाणी तहसील व जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, मकराना दिनांक 27–2–2015
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 12/2014 बउनवान मैसर्स जय श्री रानाबाई मार्बल माईन्स भागीदारी फर्म जरिये भागीदार व अन्य बनाम भंरवलाल व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री जसराज जयपाल़ अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 16–05–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार मकराना के आदेश दिनांक 8–11–2011 द्वारा खसरा नम्बर 379 में से खसरा नम्बर 379/1 का रकबा 10 बीघा का नक्शा ट्रेस व लट्ठा ट्रेस के नक्शे की स्थिति में जो परिवर्तन किया है उसे दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा संख्या 379 में खसरा नम्बर 379/1 की तहसीलदार मकराना के आदेश दिनांक 8–11–2011 द्वारा की गई तरमीम का निरस्त कर पूर्व में की गई तरमीम के स्थान को छोड़कर अपीलार्थी के हक में उपखण्ड अधिकारी परबतसर के

डिक्री आदेश संख्या 50/70 दिनांक 24–8–1971 एवं कब्जे काश्त की सही जांच कर ग्राम बोरावड के खसरा नम्बर 379/1 रकबा 10 बीघा की नये सिरे से तरमीम करने के आदेश दिनांक 27–2–2015 को पारित कर दिये। उपखण्ड अधिकारी, मकराना के उक्त आदेश दिनांक 27–2–2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी ग्राम बोरावड तहसील मकराना स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 379 रकबा 114 बीघा 8 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि की खातेदारी अपीलर्थी को उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के द्वारा प्रकरण संख्या 50/70 में उनके आदेश एवं डिक्री दिनांक 24–8–1971 के द्वारा प्राप्त हुई थी। अपीलार्थी के पिता गोविन्दराम को न्यायालय के आदेश दिनांक 24–8–1971 के द्वारा खातेदारी प्रदान की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–2–2015 के द्वारा पूर्व के तरमीम आदेश दिनांक 8–11–2011 को निरस्त कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2011 को सुनने का क्षैत्राधिकार नहीं है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत न्यायालय को सीमित अधिकार होते है वह केवल वार्षिक रजिस्टर में ही परिवर्तन कर सकते है। रिकार्ड ऑफ राईटस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन इस धारा के तहत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में खसरा नम्बर 379 में अपीलार्थी के हक में 379/1 का नक्शे में तरमीम 37 वर्ष पूर्व दिनांक 3–4–1978 में ही कर दी गई थी दिनांक 8–11–2011 को तरमीम उसी के आधार पर की गई थी। अर्थात तहसीलदार को जब पटवारी व गिरदावर हलका ने यह रिपोर्ट दी कि पुराने नक्शे में दिनांक 3–4–1978 में खसरा नम्बर 379 में 379/1 बनाकर अपीलार्थी की खातेदारी की जमीन को दर्शाया हुआ है परन्तु सन् 2004 में जो नया ट्रेस नक्शा बना उसमें यह इन्द्राज नहीं था। अतः खसरा नम्बर 379/1 का भी नये नक्शे में इन्द्राज कर दिया गया। इस इन्द्राज को तहसीलदार मकराना के आदेश दिनांक 8–11–2011 द्वारा किया गया उसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27–2–2015 के द्वारा निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने 1978 में की गई तरमीम पर गौर न कर तहसीलदार द्वारा नये नक्शे में किये गये तरमीम दिनांक 8–11–2011 को निरस्त किया जो विधिसम्मत नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व डिक्री दिनांक 24–8–1971 को आज तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई और उक्त आदेश अंतिम आदेश है तथा उक्त आदेश निरस्त करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अपीलार्थी

खसरा नम्बर 379/1 का रेकार्डेड खातेदार है प्रत्यर्थीगण इस कृषि भूमि के खातेदार नहीं है जिन्हें चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के पुत्र ने जो प्रार्थना पत्र नये नक्शे में तरमीम करने हेतु दी थी तथा उस पर पटवारी और गिरदावर की यह रिपोर्ट आयी कि वह सन् 1971 में ही अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी परबतसर के न्यायालय से दिये गये निर्णय में खसरा नम्बर 379/1 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया गया था। उसे खसरा नम्बर 379 में 379/1 बनाकर नक्शे में तरमीम पुराने नक्शों पर कर दी गई थी परन्तु जो 2004 में नये भौमी नक्शा बनाया गया था उसमें 379/1 की तरमीम अंकित नहीं होने के कारण नये नक्शे में भी तरमीम किया जाना न्यायोचित होगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 8–11–2011 द्वारा नये नक्शे में तरमीम अंकित की गई।

प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 के तहत अपील पेश की गई है वह उचित नहीं है प्रत्यर्थीगण के पास केवल दावे का ही विकल्प है तथा यह समस्या धारा136 के अन्तर्गत निर्णित नहीं की जा सकती है। प्रत्यर्थीगण विवादित आराजियात पर खसरा नम्बर 379/1 पर 1971 से पूर्व से खनन कार्य कर रहे है इस बिन्दु के संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 24–8–1971 में विवादित भूमि को बारानी 2 घोषित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिस दिनांक को निर्णय पारित किया गया था उस समय विवादित भूमि पर खनन कार्य नहीं हो रहा था। अधीनस्थ न्यायालय के विवादित निर्णय दिनांक 27–2–2015 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–11–2011 को निरस्त किया गया है तहसीलदार को पटवारी एवं गिरदावर ने रिपोर्ट दिनांक 3–4–1978 को जारी पुराने नक्शे में तरमीम अंकित है तथा 12–2–2004 को नया लट्ठा ट्रेस बनाया गया उसमें दिनांक 3–4–78 को की गई तरमीम का अंकन नहीं है। तहसीलदार मकरना के आदेश दिनांक 8–11–2011 के द्वारा जो तरमीम की गई है वह सही है और लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया है। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2015 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया गया ग्राम बोरावड क खसरा नम्बर 379 में आराजी खसरा नम्बर 379/1 की जो तरमीम की गई है उस स्थान पर अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार बाबत जारी डिक्री से पूर्व ही प्रत्यर्थीगण की खान संचालित की जा रही है तथा अपीलार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त भी नहीं है। तहसीलदार द्वारा नक्शें में की गई तममीम भी बिना किसी सक्षम स्वीकृति के की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को केवल यह देखना था कि तरमीम सही हुई या

नहीं? तहसीलदार, मकराना द्वारा दिनांक 8–11–2011 को तरमीम के जो आदेश दिये गये है वह गलत थे उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा उसे निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी परबतसर के डिक्री आदेश संख्या 50/70 दिनांक 24–8–71 एवं कब्जे काश्त की सही जांच कर ग्राम बोरावड के खसरा नम्बर 379/1 रकबा 10 बीघा की नये सिरे से तरमीम की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, मकराना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2015 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि पटवारी हलका बोरावड द्वारा दिनांक 7–4–2011 को भू–अभ्लिेख निरीक्षक मकराना को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें खसरा नम्बर 379/1 रकबा 10 बीघा की खातेदारी भंवर लाल पुत्र गोविन्दराम राजपुरोहित के नाम जमाबंदी अनुसार खातेदारी दर्ज है । पटवारी हलका द्वारा दिनांक 3–4–1978 को जारी नक्शा की प्रति प्रस्तुत की जिसमें खसरा नम्बर 379/1 की तरमीम अंकित है ग्राम बोरावड का मौजूदा नक्शा लटठा जो दिनांक 12–2–2004 को नया बनाया गया है में खसरा नम्बर 379/1 की तरमीम अंकित नहीं हे। ग्राम बोरावड के पुराना नक्शा लठा जो जीर्णशीर्ण हालत मे है या पुरना नक्शा लठा मे खसरा नम्बर 379/1 की हलकी हलकी लाईन के रूप में लाल स्याही से तरमीम अंकित है। पुराना नक्शा में अन्य खसरा नम्बरान भी लाल स्याही से अंकित है। परन्तु उक्त कोई भी तरमीम वर्तमान नक्शा लट्ठा में अंकित नहीं है। उक्त सभी तथ्यों को अनदेखा कर तत्कालीन पटवारी बोरावड द्वारा रिपोर्ट दिनांक 7–4–2011 को प्रेषित की है उक्त रिपोर्ट को देखने से प्रतीत होता है कि पटवारी हलका द्वारा मौके पर जाकर कब्जे के संबंध मे एवं मौके की वास्तविक स्थिति की कोई जांच नहीं की गई। पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है तहसीलदार को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नक्शे में तरमीम के आदेश पारित किये है जो उचित प्रतीत नहीं होते है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के द्वारा प्रकरण संख्या 50/70 में उनके आदेश एवं डिक्री दिनांक 24–8–1971 के द्वारा प्राप्त हुई थी। अपीलार्थी के पिता गोविन्दराम को न्यायालय के आदेश दिनांक 24–8–1971 के द्वारा खातेदारी प्रदान की गई थी उससे पूर्व ही प्रत्यर्थीगण को खान विभाग द्वारा 1–4–67 को ही खनन कार्य हेतु भूमि आवंटित की हुई है। तहसीलदार, मकराना ने थानाधिकारी पुलिस थाना मकराना को दिनांक 30–6–2009 को रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें खसरा नम्बर 379/1 रकबा 10 बीघा जमाबंदी अनुसार खातेदारी भूमि है परन्तु मौके पर खाने है एवं नक्शे अनुसार 379 सम्पूर्ण में खाने है एवंखनिज विभागद्वारा नक्शा अनुसार सम्पूर्ण खसरा नम्बर 379 में

लाईसेंस जारी किये हुए है एवं मौके पर खाने है। साथ ही खसरा नम्बर 379/1 रकबा 10 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 274 के अनुसार 3–9–71 को जरिये उपखण्ड अधिकारी परबतसर के आदेश द्वारा हुआ एवं उक्त 10 बीधा भूमि की नक्शे में तरमीम नहीं है एवं नक्शा अनुसार सम्पूर्ण खसरा नम्बर 379 पर खानधारियों का कब्जा हैं उक्त खसरा नम्बर 379/1 की नक्शे लट्ठे में तरमीम नहीं है न ही नामान्तरकरण संख्या 274 की पुस्त पर नजरी नक्शा बना हुआ है। विवादित आराजियात पर मौके पर खान है एवं खनिज विभाग द्वारा क्वेरी लाईसेंस जारी किया हुआ हैं जिसका क्षैत्रफल 200 X200 फुट है जिस पर खनन कार्य चालू है। जिस भूखण्ड पर विवाद है उसका क्वेरी लाईसेंस 1–4–67 को खनिज विभाग द्वारा जारी किया हुआ हैं एवं उक्त खान भूखण्ड के आगे दक्षिण में भी खाने है। इससे स्पष्ट है कि अपीलर्थी को ग्राम बोरावड के आराजी खसरा संख्या 379 में आराजी नम्बर 379/1 की जो तरमीम की गई है उस स्थान पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा जारी डिक्री से पूर्व ही प्रत्यर्थीगण की खाने संचालित हो रही है साथ ही नक्शे में तहसीलदार द्वारा तरमीम के आदेश बिना किसी सक्षम स्वीकृति के किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। उपखण्ड अध्किारी परबतसर द्वारा तहसीलदार मकराना को निर्देश दिये गये है कि पूर्व मेंकी गई तरमीम के स्थान को छोड़कर प्रत्यर्थीगण के हक में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के डिक्री आदेश संख्या 50/70 दिनांक 24–8–71 एवं कब्जे काश्त की सही जांच कर ग्राम बोरावड के खसरा नम्बर 379/1 रकबा 10 बीघा की नये सिरे से तरमीम के आदेश पारित किये है जो न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना जिला नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–2–2015 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) मकराना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–2–2015 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 12/2014 बउनवान मैसर्स जय श्री रानाबाई मार्बल माईन्स भागीदारी फर्म बनाम भंवर लाल व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर